<u>प्रेस नोट</u>

बैंक और एटीम की सुरक्षा के मद्देनजर समाहर्ता, दीव ने जारी किए आदेश
बैकों को बैंक तथा एटीएम पर 24 घंटे सशस्त्र सुरक्षा गार्ड की करनी होगी तैनाती

दीव, 06 दिसम्बर,2021 :- समाहर्ता एवं जिलाधीश, दीव सलोनी राय ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया है जिसके अनुसार दीव जिला में स्थित सभी बैंकों को बैंक तथा एटीमए पर 24 घंटों एवं 365 दिनों सशस्त्र सुरक्षा गार्ड की तैनाती करनी अनिवार्य होगी।

देश के कई प्रांतों में आए दिन यह देखने को मिलता है कि कुछ आसामजिक तत्व द्वारा बैंक एटीएम या बैंकों में लूटपाट और डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। असामाजिक तत्वों द्वारा कभी बैंक या किसी एटीएम को लूट लिया जाता है तो कभी वे एटीएम को ही उखाड़ कर ले जाते हैं। इन घटनाओं के कारण सरकार एवं आमजनता को काफी परेशानियॉ उठानी पड़ती है और बैकों को भी काफी नुकसान होता है। इस प्रकार की घटनायें दीव में न हो और असामाजिक तत्वों के द्वारा यहॉ के लोगों की शांति भंग न हो, सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान न पहुँचे तथा मानवीय जीवन की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा न हो, इसके मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से समाहर्ता एवं जिलाधीश, दीव ने यह आदेश जारी किया है।

इस आदेश के अनुसार सभी बैकों को यह आदेश दिया है कि वे दीव जिला के विभिन्न स्थलों पर लगाए गए एटीएम /बैंक में तत्काल प्रभाव से अपने-अपने बैंक तथा एटीएम में 24 घंटे सशस्त्र सुरक्षा गार्ड की तैनाती करनी या फुल प्रुफ सुरक्षा तंत्र लगाना अनिवार्य होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है